



**वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम, लि. रायपुर द्वारा राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव वन मंडल अंतर्गत चौंकी-चिल्हाटी कोरछाटोला तक मार्ग उन्नयन हेतु 5.577 हे. वन भूमि गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 18/04/2018

स्थान: रायपुर

(आर. के. सिंह)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़ वन संरक्षण
छत्तीसगढ़, रायपुर